XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 1676–एक/14 जिला – देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.1.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, खातेगांव जिला देवास के प्रकरण कमांक 1/अ–13/13–14 में पारित आदेश दिनांक 1–2–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से अंतरिम रूप से रास्ता दिये जाने के आदेश दिए गए हैं । 2– उभपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । जहां तक पुनरीक्षण विलंब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है यह कहा गया है कि पुनरीक्षण समयसीमा में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और दिनांक 19.5.14 को क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर पुनरीक्षण निरस्त किया और जिलाध्यक्ष के समक्ष निगरानी गलत कानूनी सलाह मिलने से प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदक का कोई दोष नही है । प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए प्रकरण में जो विलंब है वह क्षमा करते हुए प्रकरण समयसीमा में मान्य किया जाता है । 3/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है आलोच्य आदेश के द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया और रास्ते का निर्माण कराया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाया है कि स्थल निरीक्षण के	

श्रीमान माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कं. /निगरानी 14 निग-1676-I-14

01 महेन्द्र पिता गंगाविसन गुर्जर
02 रामकुंवरबाई विधवा गंगाविसन
दोनों निवासीगण–संदलपुर तहसील खातेगांव जिला देवास
––आवेदकगण

विरूद्ध

सुदामा पिता रामदेव जाति गुर्जर, निवासी–संदलपुर तहसील खातेगांव जिला देवास ––अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.

माननीय महोदय,

आवदेकगण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय खातेगावं जिला देवास के प्ररकण कमांक 1/अ–13/13–14 में पारित आदेश दिनांक 01/02/14 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर धारा 5 के आवेदन में लिखे गये कारणों के आधार पर पुर्नरीक्षण अंदर अवधि प्रस्तुत करते है :–

23/5/14

01 यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बिना किसी उचित एवं वैध आधार के होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02 यह कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार विहिन आदेश पारित किया है इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

03 यह कि, अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सीमांकन हेतु आवेदक को उपस्थित होने के लिये निर्देश नहीं दिये तथा आवेदक की अनुपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया व ऐसे स्थल निरीक्षण के आधार पर आदेश पारित कर आवेदक की हंकत भूमि में से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दे दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

04 यह कि, अनावेदक ने जो रास्ता चाहा उसकी विपरीत रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में त्रुटि की है।

05 यह कि, स्थल निरीक्षण हेतु जो पेशी नियत की गई उस दिनांक को तहसीलदार महोदय भ्रमण पर होने से नियत पेशी 13/01/14 को स्थल निरीक्षण

निरन्तर.....2